

अल्बर ओरॉव  
बनाम  
झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील सं. 2012 का 1868-1869)

23 अप्रैल, 2014

**[के एस राधाकृष्णन और विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति]**

दंड संहिता, 1860: धारा 302, 201-हत्या-अपीलार्थी को मृतक महिला द्वारा घर का निर्माण सौंपा गया था-उन्होंने अंतरंगता विकसित की और अपीलार्थी ने उसके साथ रहना शुरू कर दिया-सूचना देने वाले ने पाया कि मृतक महिला और उसके बच्चों को पड़ोसियों द्वारा कुछ दिनों से नहीं देखा गया-उनके शवों को मृतक महिला के घर के शौचालय के बगल में सोखने वाले गड्ढे से बाहर निकाला गया - निम्नलिखित अदालतों द्वारा दोषसिद्धि और मृत्युदंड-आयोजित: दोषसिद्धि और सजा में कोई हस्तक्षेप नहीं - दोषी ने इस बारे में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने पुलिस को मृतक की लंबे समय तक अनुपस्थिति की सूचना क्यों नहीं दी-दोषी एक राजमिस्त्री और एक सिविल-वर्क्स ठेकेदार भी था, और इसलिए, एक सोख-गड्ढा खोदने और उस सोख-गड्ढे में तीन शवों का निपटान करने और फिर उस पर एक ईंट का आवरण बनाने में सक्षम था-मृतक के साथ उसके पति के साथ उसी घर में रहने के बारे में कोई संदेह नहीं था - मृतक के साथ उसकी शादी का संकेत देने वाले दस्तावेजों को निष्पादित करने और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसे अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए उसकी 'घोषणा' के तथ्य ने उसकी और उसके दो नाबालिग बच्चों की हत्या के अपराध को अंजाम देने के लिए सम्मोहक उद्देश्य प्रदान किया - तर्कसंगत रूप से पाया गया कि दोषी ने तीन मृतकों की हत्या की है-धारा 201 के तहत सजा में हस्तक्षेप नहीं किया गया है-जहां तक अपराध का संबंध है, धारा 302 के तहत अपराध, हालांकि दोषी की कार्रवाई बेहद क्रूर, विचित्र शैतानी और विद्रोही थी, 30 साल की और अवधि के लिए कारावास, छूट के बिना, पहले से ही दी गई सजा के अलावा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित सजा होगी।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक महिला ने अपने घर के निर्माण का काम अपीलार्थी-दोषी को सौंपा था। घर के निर्माण के दौरान दोषी और मृतक महिला के बीच घनिष्ठता विकसित हुई और दोषी ने उसे अपने पति के रूप में चित्रित करते हुए रहना शुरू कर दिया। मुखबिर और उसकी चाची मृतक महिला के घर में नियमित रूप से आते थे। ऐसी ही एक यात्रा पर मुखबिर को पड़ोस से पता चला कि हाल ही में घर में केवल दोषी को देखा गया था। दोषी से पूछताछ करने पर मृतक महिला और उसके दो नाबालिग बच्चों के बारे में कोई उचित जानकारी नहीं मिली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जाँच में, एक महिला और दो बच्चों के अत्यधिक विघटित शव मिले और मृतक महिला के घर के शौचालय के बगल में गड्ढे से निकाले गए।

निचली अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि की। तत्काल अपील उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1. तत्काल मामले में, तीन मृतक पीड़ितों के शवों को उनकी अप्राकृतिक मृत्यु के तीन से छह सप्ताह बाद निकाला गया था और दोषी द्वारा कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि उसने पुलिस को उनकी लंबे समय तक अनुपस्थिति की सूचना क्यों नहीं दी। दोषी एक राजमिस्त्री था और एक सिविल-वर्क्स ठेकेदार भी था, और इसलिए, एक सोख-गड्ढा खोदने और उस सोख-गड्ढे में तीन शवों का निपटान करने और फिर उस पर एक ईंट का आवरण बनाने में सक्षम था। मृतक के साथ उसके पति के साथ उसी घर में रहने के बारे में कोई संदेह नहीं था, भले ही वह पहले से ही शादीशुदा था। मृतक के साथ उसकी शादी का संकेत देने वाले दस्तावेजों को निष्पादित करने का तथ्य और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसे अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए उसकी 'घोषणा' भी उसके और उसके दो नाबालिग बच्चों की हत्या के अपराध को अंजाम देने के लिए सम्मोहक उद्देश्य प्रदान करती है। तार्किक रूप से दोषी को, बिना किसी संदेह के, तीन मृतकों की हत्या करने वाला पाया गया।

[पैरा 7] [338-ए-ई]

*त्रिमुख बनाम राज्य* 2006 (10) एस. सी. सी. 681:2006 (7) पूरक एस.सी.आर. 156; *राज कुमार बनाम राज्य* (2007) (1) एस.सी.सी. 433; *राज्य बनाम जग्गू* 2008 (12) एस. सी. सी. 51:2008 ए.आई.आर. 982; *सुशील कुमार बनाम पंजाब राज्य* 2009 (10) एस.सी.सी. 434:10 ए.आई.आर. 832; *स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य* 2008 (13) एस. सी. सी. 767:2008 (11) एस.सी.आर. 93-संदर्भित।

2. सत्र न्यायाधीश ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई; और सात साल के लिए कठोर कारावास और आईपीसी धारा 201, के तहत Rs.5000/- का जुर्माना भी लगाया गया। विवादित निर्णय में, इन दोनों सजाओं की पुष्टि की गई थी। जहां तक आईपीसी की धारा 201 के तहत सजा का संबंध है, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। भले ही दोषी की कार्रवाई अत्यंत क्रूर, विचित्र रूप से पैशाचिक और विद्रोही थी, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पहले से दी गई सजा के अलावा, बिना किसी छूट के 30 साल की और अवधि के लिए कारावास उचित सजा होगी। तदनुसार, निचली अदालतों द्वारा समवर्ती रूप से लगाई गई मौत की सजा को संशोधित किया जाता है और दोषी को बिना किसी छूट के 30 साल की और अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है।

[पैरा 8] (338-एफ -जी ; 339-सी-डी, एफ)

*संगीत बनाम हरियाणा राज्य* 2013 (2) एस. सी. सी. 452:12 (13) एस. सी. आर. 85; *गुरवेल सिंह बनाम पंजाब राज्य* 2013 (10) एस. सी. सी. 631; *स्वामी श्रद्धानंद और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार* 2012 (8) एस. सी. सी. 537:12 (7) एस. सी. आर. 359; *साहिब हुसैन उर्फ साहिब जान बनाम राजस्थान राज्य* 2013 (9) एस. सी. सी. 778:13 (2) एस. सी. आर. 1019; *अनीफ उर्फ एंटनी बनाम महाराष्ट्र राज्य* 2014 (2) एस. सी. एल. ई. 54-पर भरोसा किया गया।

केस लॉ सन्दर्भ :

2006 (7) अनुपूरक एस.सी.आर 156 पैरा 6 को संदर्भित

(2007) (1) सेक 433 पैरा 6 को संदर्भित

2008 AIR 982 पैरा 6 को संदर्भित

2010 AIR 832 पैरा 6 को संदर्भित

2008 (11) एससीआर 93 पैरा 6 को संदर्भित

2012 (13) एससीआर 85 पैरा 8 पर आधारित

2013 (10) एससीआर 631 पैरा 8 पर आधारित

2012 (7) एससीआर 359 पैरा 8 पर आधारित

2013(2) एससीआर 1019 पैरा 8 पर निर्भर .

2014(2) स्केल 54 पैरा 8 पर निर्भर

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 2012 का 1868-1869।

आपराधिक अपील (डी. एस.) संख्या 2010 का 1048 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.11.2011 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से सुधीर कुलश्रेष्ठ, सुषमा सिंह।

प्रत्यर्थी के लिए जायेश गौरव (अनिल के. झा के लिए)।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

**विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति** 1. इन अपीलों में झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 22 नवंबर, 2011 के विवादित निर्णय को खारिज करने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मामले के तथ्यों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दुर्लभतम से दुर्लभतम अपराध के अपराध को प्रकाश में लाया है, जिसमें मृत्युदंड की सजा का आश्वासन दिया गया है। विवादित निर्णय उन तथ्यों के संदर्भ में सजा को भी बरकरार रखता है जिन्हें हम वर्तमान में आईपीसी की धारा 201 के तहत विस्तार से बताएंगे। अपील तथ्यों के साथ-साथ नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा पारित सजा के समवर्ती निष्कर्षों को हटाने का प्रयास करती है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला 14.12.2008 को सुनील मुंडा द्वारा दर्ज फरदबेयान में पाया जाना है। इसमें बताया गया है कि मृतक पुष्पादेवी अपने दो बच्चों, उस समय 8 वर्षीय दीपिका कुमारी और 6 वर्षीय सुदर्शन मुंडा के साथ अपने पति स्वर्गीय दिलीप कुमार मुंडा की मृत्योपरांत कुटमू गाँव में रह रही थीं, जिनकी मृत्यु भारतीय सेना की सेवा में रहते हुए हुई थी। पुष्पा और उनके बच्चे शुरू में सुकरू उरांव के घर में किरायेदार के रूप में रह रहे थे (पी डब्लू-4)। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्पा ने अपने अधीन भूखंड पर एक घर का निर्माण कार्य अल्बेर ओराओन (दोषी) को सौंपा था, घर के निर्माण के दौरान उनमें अंतरंगता विकसित हुई और दोषी ने मृतक के साथ अपने पति के रूप में रहना शुरू कर दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मुखबिर और उसकी चाची अक्सर पुष्पा से मिलने जाते थे, और ऐसी ही एक यात्रा पर मुखबिर को पड़ोस से पता चला कि हाल ही में उक्त घर में केवल दोषी को देखा गया था। जब वे पुष्पा के घर गए तो तीन मृतकों की अनुपस्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी दोषी की ओर से नहीं आई, क्योंकि उसने विभिन्न रूप से कहा कि पुष्पा और उसके बच्चे उसके माता-पिता के घर गए थे और/या वह अपनी नानी से मिलने जा रही थी। इन टालमटोल और असंगत जवाबों के कारण मुखबिर ने पुलिस को मामले की सूचना दी। जाँच के दौरान एक महिला और दो बच्चों के अत्यधिक सड़े हुए शव पाए गए और उन्हें पुष्पा के घर के शौचालय के बगल में सोख-गड्ढे से बाहर निकाला गया और यह अभ्यास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया था। पड़ोसियों से आगे की पूछताछ से पता चला है कि दोषी और पुष्पा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे क्योंकि दोषी चाहता था कि भूमि और घर को पुष्पा द्वारा उसके नाम पर स्थानांतरित किया जाए

3. इस आधार पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 और 201/34 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा बारह गवाहों से पूछताछ की गई; यह आरोप लगाया जाता है कि दोषी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और उसके बाद,

आपतिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई। डॉ. बिनय कुमार, ऑटोप्सी सर्जन (पीडब्लू-12) ने बयान दिया है कि यहाँ तीन शवों में से प्रत्येक पर पूर्व-शव परीक्षण चोटें थीं, जो एक कठोर और कुंद हथियार के कारण हुई थीं। "कठोर और कुंद हथियार" नहीं पाया गया है और यह विवादित नहीं है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

4. जहाँ तक दोषी के बचाव का संबंध है, तर्क यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला अधूरी है; कि अभियोजन पक्ष सीधे तौर पर दोषी को शामिल करने वाले साक्ष्य एकत्र करने में विफल रहा है; कि पति की मृत्यु के बाद पुष्पा के अपने ससुराल वालों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, और उन परिस्थितियों में उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; इसलिए, इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसके ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के लिए जघन्य अपराध किए थे। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी भी गवाह ने यह बयान नहीं दिया है कि दोषी को शवों को छिपाते हुए देखा गया था; और महत्वपूर्ण रूप से घातक हमले का उद्देश्य/उपकरण नहीं मिला है।

5. सत्र न्यायाधीश ने पोस्टमॉर्टम जांच और जिस तरह से शवों को सोख में दफनाया गया था, उसके आधार पर राय दी है कि मौत हत्या थी। उन्होंने नोट किया है कि दोषी अपहरण के एक कथित अपराध में शामिल होने के संबंध में हिरासत में था और यह उस समय था जब उसने एक स्वीकारोक्ति की थी जिससे मृतक और दोषी के बीच विवाह समझौते की पुनर्प्राप्ति हुई थी, और मृतक द्वारा एक घोषणा की गई थी कि संपत्ति को कथित रूप से दोषी को हस्तांतरित किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू-4 के बयान पर ध्यान दिया कि वह तीनों मृतकों से परिचित था क्योंकि उसने पहले अपने घर का एक हिस्सा उन्हें किराए पर दिया था। सत्र न्यायाधीश ने आगे नोट किया कि पीडब्लू-1, सुगुनी देवी, मृतक पुष्प की पैतृक चाची ने बयान दिया है कि दोषी ने 2007 में घर के पूरा होने के बाद, घर बनाने के लिए पुष्पा के साथ अनुबंध किया था और तीन मृतकों के साथ रहना शुरू कर दिया था; कि उसकी पहले की यात्राओं पर पुष्पा ने उसे बताया था कि दोषी ने पहले उसके साथ एक ईंट से हमला किया था; जब वह 29.11.2008 को घर गई थी, तो उसने पुष्प और उसके दो बच्चों को लापता पाया और इसके बजाय दोषी घर में अकेला रह रहा था; उसके द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने कहा था कि पुष्पा और उसके बच्चे रांची में अपने एक दोस्त के घर गए थे, लेकिन रांची में पुष्पा की खोज निष्फल साबित हुई। बाद में पुष्पा के घर की यात्रा पर, पुष्पा और उसके बच्चे फिर से वहाँ नहीं मिले और पड़ोसियों ने सुगुनी देवी और सुनील मुंडा को बताया कि उन्होंने दोषी को एक खाई खोदते हुए और बाद में उसे मिट्टी से ढकते हुए देखा था। जिरह में भी, दोषी को शुरू में घर बनाने का ठेका मिलने के संबंध में उसका बयान, उसके बाद, उसके पति के रूप में पुष्प के साथ रहना, अडिग रहा है। मुखबिर पीडब्लू-3, सुनील मुंडा का बयान काफी हद तक समान है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि मृतक पुष्प की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सत्र न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट थे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। वह इस बात से आश्वस्त था कि दिवंगत पुष्प के साथ अंतरंगता विकसित करने वाला दोषी उक्त घर में मृतक के साथ रह रहा था, जहाँ वह समाज में उसके पति के रूप में खुद को दर्शाता था। सत्र न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट थे कि घटनास्थल से बरामद शव पुष्प और उनके दो नाबालिग बच्चों के थे। Ext.I, Ext.111 और Ext.112, जो दोषी के प्रकटीकरण बयानों के अनुसार खोजे गए थे, ने न केवल इस निष्कर्ष को मजबूत किया कि दोषी अपने घर पर मृतक के साथ रह रहा था/रह रहा था, बल्कि उद्देश्य को भी प्रकट करता है जो तीन भयानक हत्याओं का कारण बना। इन तीनों प्रदर्शनियों को पीडब्लू-8, जांच अधिकारी, पीडब्लू-9, मोतीलाल अग्रवाल, नोटरी पब्लिक और पीडब्लू-10, विकास कुमार गुप्ता, एक रियल एस्टेट एजेंट द्वारा साबित किया गया है। दस्तावेजों में तस्वीर के साथ-साथ दोषी और मृतक के हस्ताक्षर भी हैं। मृतक पुष्पा के साथ-साथ विचाराधीन घर के साथ दोषी का संबंध अनुपलब्ध है। महत्वपूर्ण रूप से, दस्तावेजों में कहा गया है कि दोषी ने घर के निर्माण के लिए Rs.6,33,075/- का निवेश किया था।

6. त्रिमुख बनाम राज्य 2006 (10) एस. सी. सी. 681 न्यायोचित और सही ढंग से निर्भर था क्योंकि इस न्यायालय ने यह राय दी थी कि-"जहां हत्या जैसा अपराध घर के भीतर गोपनीयता में किया जाता है, वहां मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक जिम्मेदारी निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती है, जैसा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। जिम्मेदारी तुलनात्मक रूप से हल्के चरित्र वाला होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए घर के निवासियों पर यह ठोस स्पष्टीकरण देने का बोझ होगा कि अपराध कैसे किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए घर के निवासियों पर यह ठोस स्पष्टीकरण देने का बोझ होगा कि अपराध कैसे किया गया था। राज कुमार बनाम राज्य (2007) (1) एस. सी. सी. 433, राज्य बनाम जग्गू 2008 (12) एस. सी. सी. 51, सुशील कुमार बनाम पंजाब राज्य 2009 (10) एस. सी. सी. 434, और स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य 2008 (13) एस. सी. सी. 767 में इस न्यायालय के बाद के निर्णयों पर सही ढंग से निर्भरता रखी गई है। दोषी की संलिप्तता से आश्वस्त होकर, उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई और आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए सात साल के सश्रम कारावास और Rs.5,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई। विवादित निर्णय में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सत्र न्यायाधीश के तथ्यात्मक निष्कर्षों की पुष्टि करने और इस संबंध में पारित मौत की सजा की पुष्टि करने से पहले सबूतों पर विचार किया है।

7. हमने मामले के परिप्रेक्ष्य पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया है और हमें दोषी के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं है। हम इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की श्रृंखला को दोहराते हैं जो प्रभावी रूप से उन अभियुक्तों को निर्दोष साबित करने का बोझ हस्तांतरित करते हैं जो घर की सीमा के भीतर मृतक के साथ रह रहे थे। वर्तमान मामले में, तीन मृतक पीड़ितों के शवों को उनकी अप्राकृतिक मृत्यु के तीन से छह सप्ताह बाद निकाला गया था और दोषी द्वारा कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने पुलिस को उनकी लंबे समय तक अनुपस्थिति की सूचना क्यों नहीं दी। दोषी एक राजमिस्त्री और एक सिविल-वर्क्स ठेकेदार भी था, और इसलिए, एक सोख-गड्ढा खोदने और उस सोख-गड्ढे में तीन शवों का निपटान करने और फिर उस पर एक ईंट का आवरण बनाने में निपुण और सक्षम था। मृतक के साथ उसके पति के साथ उसी घर में रहने के बारे में कोई संदेह नहीं है, भले ही वह पहले से ही शादीशुदा था। मृतक पुष्पा के साथ उसकी शादी का संकेत देने वाले दस्तावेजों को निष्पादित करने का तथ्य और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसे अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए उसकी 'घोषणा' उसके और उसके दो नाबालिग बच्चों की हत्या के अपराध को अंजाम देने के लिए सम्मोहक उद्देश्य प्रदान करती है। हम सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और तर्क के अलावा इन कारकों पर जोर दे रहे हैं। हमें इस न्यायालय के कई पिछले फैसलों को देखने का भी लाभ मिला है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दोषी को तार्किक रूप से, एक उचित संदेह से परे, पुष्पा के साथ-साथ उनकी बेटी दीपिका कुमारी और उनके बेटे सुदर्शन मुंडा की हत्या करने के लिए पाया गया था।

8. अब हमें दोनों न्यायालयों द्वारा अधिरोपित मृत्युदंड की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, सत्र न्यायाधीश ने दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; और आईपीसी की धारा 201 के तहत सात साल के लिए कठोर कारावास और Rs.5000/- का जुर्माना लगाया गया। विवादित निर्णय में इन दोनों सजाओं की पुष्टि की गई है। जहां तक आईपीसी की धारा 201 के तहत सजा का सवाल है, हमें अपने हस्तक्षेप को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं मिलता है। संगीत बनाम हरियाणा राज्य 2013 (2) एस. सी. सी. 452 मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 20 वर्ष और उससे अधिक की सजा देने के कानूनी औचित्य के बारे में राय के

बारे में संदेह क्त किया था और यह भी निर्धारित किया था कि इस सजा की कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी। उस संदेह को अब गुरवेल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2013 (10) धारा 631 में समाहित कर दिया गया है, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार 2012 (8) धारा 537. साथ ही साहिब हुसैन उर्फ बी साहिब जान बनाम राजस्थान राज्य में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का उल्लेख किया गया है। 2013 (9) एस. सी. सी. 778 में इस मुद्दे पर पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं पाई गई। अनिल उर्फ एंटनी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 (2) स्केल 54 में, हमने शारीरिक संबंध बनाने के बाद 10 साल के एक नाबालिग लड़के की गला घोटकर नृशंस हत्या का मामला दर्ज किया था। भले ही हमने आरोपी की कार्रवाई को अत्यंत क्रूर, विचित्र शैतानी और विद्रोही पाया, लेकिन यह हमारी राय थी कि पहले से दी गई सजा के अलावा, छूट के बिना 30 साल की और अवधि के लिए कारावास, उस मामले में प्राप्त तथ्यों

और परिस्थितियों में उचित सजा होगी। दुर्भाग्य से वर्तमान अपीलों में हमें जिस अपराध का सामना करना पड़ा है, वह भी समान निंदनीय प्रकृति का है जो उन्हीं विशेषणों के उपयोग को उचित ठहराता है जैसा कि हमने अनिल उर्फ एंटनी में नियोजित किया था। हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में भी यही सजा दी जानी चाहिए। तदनुसार, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से अधिरोपित मृत्युदंड को संशोधित करते हुए, हम दोषी को बिना किसी छूट के 30 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास की सजा देते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि यह पहले से दी गई सजा के अतिरिक्त होगा।

9. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है,

देविका गुजराल

याचिकाओं का निपटारा

यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।